हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बरव तारीक अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/6/2013 8/6/13 दस्तावेजी आम्र पेश हुई सपक्ष लोक अदालत में पेश हुई। गाड़ी व प्रतिवादीगण को बार-बार आवाजें दिलायी गई लेकिन गाड़ी व प्रतिवादीगण कार्यवाही आवाज कोई उपस्थित नहीं है। मिसल पर दस्तावेजी देख कोर्ट के द्वारा दस्तावेजी सुलह प्रस्ताव गया अदालत कार्यवाही की जाती। रखी गई। नवाड़ द्वारा उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने के बाद वाद की कार्यवाही को लेकर किसी प्रकार रुचि नहीं दिखाई। गाड़ी द्वारा वाद व प्रस्तुत अस्तावेजात यानि पेशी का अवलोकन किया गया जिससे गाड़ी अपने वाद में वर्णित तथ्य साबुत प्रस्तुत करने का इच्छुक प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वाद अनावश्यक रूप से लम्बित पड़ा है अतः गाड़ी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 8/6/13 को सपक्ष लोक अदालत खुली अदालत में पेश हुई अदालत के समक्ष सुनाया गया। पत्रावली फैसल होकर रजिस्टर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी डेगाना (नागौर)	